	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	चैत्र 11, बुधवार, शाके 1937–अप्रेल 1, 2015 *Chaitra 11, Wednesday, Saka 1937-April 1, 2015*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 1, 2015

संख्या प. 2 (4) विधि/2/2015:–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 01 अप्रेल, 2015 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015
(2015 का अधिनियम संख्यांक 7)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 01 अप्रेल, 2015 को प्राप्त हुई]

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह 8 दिसम्बर, 2014 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 19 का संशोधन.- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का

अधिनियम सं. 13), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 19 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (त) के पश्चात् और विद्यमान परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(थ) घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय रखता हो और उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नहीं जाता हो:" ;

(ii) विद्यमान स्पष्टीकरण को **स्पष्टीकरण-I** के रूप में पुन:संख्यांकित किया जायेगा; और

(iii) इस प्रकार पुन:संख्यांकित स्पष्टीकरण-I के पश्चात्, निम्नलिखित नया स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"**स्पष्टीकरण-II**.- इस धारा के खण्ड (थ) के प्रयोजन के लिए-

(i) "स्वच्छ शौचालय" से तीन दीवारों, एक दरवाजे और छत से घिरी हुई कोई जल-बंध (वाटर सील्ड) शौचालय प्रणाली या व्यवस्था अभिप्रेत है; और

(ii) "परिवार के सदस्य" से ऐसे व्यक्ति का/की पति/पत्नी, बच्चे और ऐसे व्यक्ति के साथ निवास कर रहे उसके माता-पिता अभिप्रेत हैं।"।

3. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश सं. 1) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

दीपक माहेश्वरी,

प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, April 1, 2015

No. F. 2 (4) Vidhi/2/2015.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the Following translation in the English language of Rajasthan Panchayati Raj (Sanshodhan) Adhiniyam, 2015 (2015 Ka Adhiniyam Sankhyank 7):-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) ACT, 2015

(Act No. 7 of 2015)

[Received the assent of the Governor on the 1st day of April, 2015]

An

Act

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 8th December, 2014.

2. Amendment of section 19, Rajasthan Act No. 13 of 1994.- In section 19 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), hereinafter referred to as the principal Act,-

(i) after the existing clause (p) and before the existing proviso, the following new clause shall be inserted, namely:-

"(q) does not have a functional sanitary toilet in the house and any of his family members defecate in the open:";

(ii) the existing Explanation shall be renumbered as **Explanation-I**; and

(iii) after the Explanation-I so renumbered, the following new Explanation shall be added, namely:-

"**Explanation-II.**- For the purpose of the clause (q) of this section-

(i) "sanitary toilet" means a water sealed toilet system or setup surrounded by three walls, a door and a roof; and

(ii) "family members" means spouse of such person, children and his parents living with such person.".

3. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Ordinance, 2014 (Ordinance No. 1 of 2014) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

दीपक माहेश्वरी,

Principal Secretary to the Government.

4

Government Central Press, Jaipur.